



प्रेस विज्ञप्ति

30.03.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची ज़ोनल कार्यालय ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडब्ल्यूएसडी), स्वर्णरिखा हेड वर्क्स डिवीजन, रांची से सरकारी धन के धोखाधड़ीपूर्ण गबन की जांच के बाद, **संतोष कुमार** (आरोपित संख्या 1), उनकी पत्नी **ललिता सिन्हा** (आरोपित संख्या 2), और उनकी शेल कंपनी **मेसर्स रॉकड्रिल कंस्ट्रक्शन (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड** (आरोपित संख्या 3) के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 44 और 45 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। साथ ही, उक्त अभियोजन शिकायत में पीएमएलए, 2002 के तहत 6.26 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति जब्त करने का अनुरोध किया गया था।

ईडी ने झारखंड पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर तथा उसके बाद दायर चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की। इस जांच में पता चला कि संतोष कुमार ने, कैशियर-सह-अपर डिवीज़न क्लर्क के तौर पर काम करते हुए, अपनी सरकारी पद का दुरुपयोग करके सरकारी खजाने से कुल लगभग 22.86 करोड़ रुपये का गबन किया। जहाँ पुलिस की शुरुआती रिपोर्टों में इस धोखाधड़ी की रकम कम बताई गई थी, वहीं ईडी की पीएमएलए जांच ने इस गबन के असली पैमाने को उजागर कर दिया। इस जांच से यह साबित हो गया कि इन पैसों को धोखाधड़ी वाली भुगतानकर्ता पहचान (पेयी आइडी) और निष्क्रिय डीडीओ कोड में हेरफेर करके दूसरी जगह भेजा गया था।

जांच से पता चला कि स्तरीकृत आय को, कई महंगी चीज़ें खरीदकर, वैध अर्थव्यवस्था में शामिल कर लिया गया था। इसमें रांची के रातू में 6.81 डेसिमल भूखंड खरीदना शामिल था, जो उसकी बहन ममता सिन्हा के नाम पर पंजीकृत था, और उसकी पत्नी के नाम पर एक टोयोटा इनोवा क्रिस्टा गाड़ी बुक करना भी शामिल था। इसके अलावा, आरोपी ने 1.78 करोड़ रुपये से ज़्यादा की ज्वेलरी, 25 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड योजना व कई सावधि जमा में भी भारी निवेश किया था।

जांच के दौरान, ईडी ने 26 परिसरों पर तलाशी ली, जिसके परिणामस्वरूप 55.08 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी और विभाग के भीतर चल रहे संगठित भ्रष्टाचार को दर्ज करने वाली अपराध-संकेती लेजर जब्त की गई। ईडी पहले ही लगभग 2.18 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क कर चुकी है, जिसकी पुष्टि विद्वान निर्णायक प्राधिकरण (पीएमएलए) द्वारा कर दी गई है।

आगे की जांच जारी है।